ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान सोसाईटी सेवाशर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2015

अधिसूचना संख्या 14/एम 7–14/2014............/दिनांक..............बिहार प्राइवेट शिक्षा संस्था (अधिग्रहण) अधिनियम (बिहार अधिनियम, 11, 1987) की धारा 11 की उपधारा–1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान सोसाईटी सेवाशर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2004 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** :– *(i)* यह नियमावली ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान सोसाईटी सेवाशर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

   (ii) इसका कार्यक्षेत्र ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान तक सीमित रहेगा।

   (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

1. **ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान सोसाईटी सेवाशर्त्त नियमावली, 2004 के अध्याय–2 नियम–6 का प्रतिस्थापन** : ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान सोसाईटी सेवाशर्त्त नियमावली, 2004 के अध्याय–2 नियम–6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

   (i) ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन सदस्यों की एक चयन समिति का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जायेगा:–

   (क) राज्य के विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय का कुलपति – अध्यक्ष
   (ख) देश के किसी संस्थान में प्रबन्धन विषय में प्रोफेसर के पद पर दस वर्षों का अनुभव प्राप्त व्यक्ति –सदस्य
   (ग) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में उच्च पद का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त पदाधिकारी– सदस्य

   (ii) चयन समिति, संस्थान के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अखिल भारतीय विज्ञापन के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर तीन सुयोग्य व्यक्तियों की सूची की अनुशंसा, प्रबन्ध समिति को करेगी ।

   परन्तु, सुयोग्य उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन से कम नामों की भी अनुशंसा की जा सकेगी। प्रबन्ध समिति, अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को संस्थान के निदेशक के पद पर नियुक्त कर सकेगी।

   (iii) निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्षों का होगा, परन्तु पाँच वर्षों की अवधि की समाप्ति के उपरान्त प्रबन्ध समिति को निदेशक के कार्यकाल को विस्तारित करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 14 / एम 7–14 / 2014............ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 सहित राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 14 / एम 7–14 / 2014...875 पटना, दिनांक 5.6.15

प्रतिलिपि :–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, बिहार, पटना / निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना / निदेशक, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान, पटना / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

5/6/15

सरकार के संयुक्त सचिव